

Continuation Note Sheet

16-1-24 वकील श्री ऋषिपाल जोशी द्वारा अप्रार्थी संतोष की ओर से मूल वाद 177 आर.टी.ए. में वकालतनामा एवम् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। मूल वाद 177 आर.टी.ए. खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। मूल वादी में खारिज होने से प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा एवम् रिसीवर आदेश दिनांक 14.12.2023 स्वतः निरस्त है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

०७
उपखण्ड अधिकारी (रजिस्ट्र)
श्रीगंगानगर

